उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

संख्या- 4/2016/1830(2)/43-1-2015-7(5)/2014

लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2016/ 1830/43-1-2015-7(5)/2014, दिनांक 12 जनवरी, 2016 में प्रदत्त सदस्यता शुल्क में रियायत के भुगतान हेतु तथा इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-46 के ''लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03-इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) '' के मद में द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 2,22,500/- (रूपये दो लाख बाइस हजार पॉच सौ मात्र) को आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकति प्रदान करते है।

2- उक्त से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2016/1830/43-1-2015-7(5)/2014, दिनाक 12 जनवरी, 2016 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- अवैतनिक सचिव, आई0आई0पी0ए0, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश रीजनल शाखा, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनुभाग अधिकारी, लेखा, प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
6- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

लुटावन राम
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in